न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 190/2026
आदेश

09.06.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त अशोक राम की ओर से दाखिल किया गया है, जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 324, 302/34 के अधीन दर्ज काराकाट थाना कांड सं0 197/2023 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बिजय प्रसाद को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 07.07.2023 को संध्या 07.00 बजे अभियुक्तगण लड़कों के झगड़ा को लेकर सूचक के घर में घुस आए और सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ लाठी–डंडों से मारपीट किए। इस मारपीट में रामवचन राम, बिनोद राम तथा मुन्ना राम गंभीर रूप से घायल हो गए।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जैसा कि अभियोजन ने कहा है वैसी कोई घटना नहीं घटी थी, बल्कि अभियोजन का मामला झूठा और मनगढ़ंत है। उभय पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 को साजिश के तहत जोड़ा गया है, क्योंकि इस वाद के सूचक राम बचन राम की घटना के 18 दिन बार मृत्यु हुई थी। मृतक रामबचन राम बहुत वृद्ध और बीमार व्यक्ति थे, जिनकी आयु 65 वर्ष थी और उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। राम बचन राम की मृत्यु का उपरोक्त घटना से कोई संबंध नहीं है, बल्कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक थी। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक के घर में घुसकर इस वाद के सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने की बात कही जाती है तथा उक्त मारपीट में सूचक एवं उसके परिवार के

लगातार
09.06.2026

सदस्यों के गंभीर रूप से जख्मी होने की बात कही जाती है तथा उसी मारपीट की घटना के अनुक्रम में बाद में इस वाद के सूचक की मृत्यु कारित होने की बात कही जाती है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुनः अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी प्रारंभ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323 एवं 324/34 के अधीन दर्ज किया गया था, किन्तु बाद में इस वाद के सूचक/जख्मी रामबचन राम की मृत्यु हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 को जोड़ा गया था। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक के घर में घुसकर इस वाद के सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने की बात कही जाती है तथा उक्त मारपीट में सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों के गंभीर रूप से जख्मी होने की बात कही जाती है तथा उसी मारपीट की घटना के अनुक्रम में बाद में इस वाद के सूचक की मृत्यु कारित होने की बात कही जाती है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध लगाया गया अभियोग गंभीर है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों को विचार करने के पश्चात मैं आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।